


39

न्यायालय में - श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

कैम्प कोर्ट-रीवा (म0प्र0) निगरानी 464-III-15



38
5.2.15

केदार प्रसाद तिवारी पिता श्री महेश प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम गोहपारु, थाना व तहसील गोहपारु, जिला शहडोल म.प्र. हाल मुकाम ग्राम बकहो, वार्ड नं. 18, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल म.प्र.

..... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. आशादेवी पति महेश प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम पैलवाह, थाना व तहसील गोहपारु जिला शहडोल म.प्र.,
2. म.प्र. शासन एवं अन्य अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. महेश प्रसाद तिवारी
द्वारा आज दिनांक 05.02.15 के
प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4598
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
जिम्मेदार ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, जिला शहडोल के प्र.क्रं.3/ निग./2013-14 आदेश दिनांक 14.11.2014 व रा.प्र.क्रं. 32/अ-3/2009-10 आदेश दिनांक 17.03.2011 तहसील सोहागपुर वृत्त गोहपारु के पारित एवं घोषित आदेश के विरुद्ध

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :-

1. यह कि आराजी खसरा नंबर 458/1 रकवा 0.372 हेक्टेयर भूमि जो स्थित ग्राम गोहपारु, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल म.प्र. स्थित आराजी जो कि प्रश्नाधीन भूमि है, उपरोक्त आराजी निगरानीकर्ता की क्रयशुदा आराजी है, जिसे पूर्व भूमि स्वामी/विक्रेता केमला यादव पिता सुखदेव यादव जाति अहीर

केदार तिवारी

Handwritten signature and scribble at the bottom left of the page.

R 464-III / 15-

329-15

कठोर के को लेखना
 उपरान्त को उपाय नही। किन्तु
 कठोर के को उपाय नही।
 समय-समय पर निस वा प्रकार
 लक्षणों के। किन्तु को उपाय
 नही। कठोर के कठोर के
 कठोर प्रकार कठोर के को
 किन्तु नही।

सिद्ध